

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, (अजमेर)
जिला - अजमेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /19203049285
दिनांक: 27-06-2019
आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक / परिवार के मुखिया का आवाचाह कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सूची रिपिका कैचर पुत्र/पुत्री श्री बनेन्द सिंह राजस्थान राज्य के जिला अजमेर पता - न्यू कॉलोनी बाघर तहसील बाघर जिला अजमेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त सूची रिपिका कैचर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं प 11(16-4) आर.एण्ड पी /एस से ई डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 12 RAVANA-RAJPUT (12 रावणा-राजपूत) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सूची रिपिका कैचर आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के शिबीलेयर संघी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित शिबीलेयर के प्रापटण्ड के अनुसार शिबीलेयर (सम्यक् वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.से.ई./कम्प्यू./ई.पी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वाय जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को बाध्यता बटान की गयी है।
- 2 उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिविलिक द्वाय उपसम्भ कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 शर्ती द्वाय प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात बिन्ने के सम्बंधित बटन अधिकारी विरके हस्ताक्षर से सह जारी किया जायेगा के कार्मिक में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपसम्भ होगी।
- 4 यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः, शर्ती कार्को के निचे मान्य है।
- 5 शर्ती को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.e-mitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोफन संख्या : 190212132533

* राज्य के पिछड़े वर्ग के निचे राजस्थान सरकार के अधीन संघ.ओ में नियुक्ति और पदों तथा राज्य की वैयिक संस्थाओं में शीरो में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, (अजमेर)

Signature valid

Digitally signed by VI
VERMA
Date: 2019.06.27 16:19:51
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



s 3607887